

शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
1, सरदार पटेल मार्ग, इंदौर 452001

क्रमांक /५२५५/स्थापना/विज्ञप्ति/2019

इंदौर, दिनांक २८.८.१९

// संशोधन विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत पूर्व में जारी कार्यालयीन विज्ञप्ति सूचना 3381/स्था/विज्ञप्ति/2019 इन्दौर दिनांक 18.9.2018 की निरंतरता में स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अधीन ट्यूटर के एक रिक्त पद (अन्य पिछडा वर्ग) की पूर्ति की जाना है। इस हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र दिनांक 16.9.2019 सांय 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर कार्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gdcindore.org पर उपलब्ध हैं।
2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी हेतु आवेदन पत्र का उल्लेख करना अनिवार्य रूप से करें।
3. पूर्व में जारी कार्यालयीन विज्ञप्ति सूचना 3381/स्था/विज्ञप्ति/2019 इन्दौर दिनांक 18.9.2018 के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र कार्यालय में व्यक्तिगत अथवा डाक के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे कि उनका आवेदन पत्र अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। अन्य पिछडा वर्ग के नवीन आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य
स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

ट्यूटर - रिक्त पद

क	UR	SC	ST	OBC	योग
1	-	-	-	1	1

4. तालिका में उल्लेखित रिक्तियों संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2- 53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की अनुसूची के अनुसार आरक्षण रोस्टर एव शासन के 2 से 5 बिन्दु के आरक्षण रोस्टर में उल्लेखित चकानुकम अनुसार संधारित है।
5. तालिका में उल्लेखित चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं UR= अनारक्षित है।
6. पदों की संख्या अधिक/कम अथवा विज्ञप्ति भी निरस्त की जा सकती है।
7. स्कूटनी समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय की वेबसाईट पर अथवा अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. पर दी जावेगी।

1. वेतनमान - नियमित नियुक्ति हेतु
 ट्यूटर - 15600-39000 + ग्रेड-पे 6000 +डी.ए.

टीप - समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा - न्यूनतम अधिकतम
 ट्यूटर - 22 वर्ष 62 वर्ष

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी (01-01-2020) के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
 - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अर्हताये :-
 - भारतीय दंत परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों (शिक्षकों) के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तालिका अनुसार है :-

स.क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6
1	6	ट्यूटर/प्रदर्शक	22 वर्ष	भारतीय विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी में मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता, एवं न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।	स्वशासी दंत चि.महा. द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ

टीप :- 1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय दंत परिषद द्वारा प्रचलित नियम मान्य होंगे एवं परिवर्तन किए जाने पर तदनुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।

2. कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

प्रकाशनों की श्रेणियों का उन्नयन / अवनयन किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा की समीक्षा भारतीय दंत परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी एवं कार्यकारी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

- अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश डेंटल कौंसिल/डेंटल कौंसिल ऑफ इण्डिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जो डेंटल कौंसिल ऑफ इण्डिया के अंतर्गत मान्य हो।

5. निरर्हतायें-

- 5-1 विकृत चित्त वाला होने पर।
 - 5-2 दुश्चरित्र होने पर।
 - 5-3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - 5-4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
 - 5-5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
 - 5-6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख में फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
 - 5-7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
 - 5-8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
 - 5-9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
6. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः 2 वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी स्वशासी दंत महाविद्यालय में कार्यरत है तो उसे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।
 7. चयन हेतु साक्षात्कर/लिखित परीक्षा अथवा दोनों की प्रकिया अपनाई जा सकती है।
 8. स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे

आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। परंतु अन्य संस्थाओं में सेवारत चिकित्सकों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

तालिका - 1

श्रेणी	अंक
श्रेणी 1 : (1) पबमेड - मेडलाईन में अनुक्रमित शोधपत्रिकाएँ - कृपया यहाँ देखें - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (2) भारतीय दंत परिषद द्वारा अनुमोदित भारतीय/अंतरराष्ट्रीय दंत विशेषज्ञता संघों द्वारा प्रकाशित शोधपत्रिकाएँ।	15
श्रेणी 2 : (1) दंत उपाधि प्रदान करने वाले सरकारी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों या दंत उपाधि प्रदान करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित चिकित्सीय/दंत शोधपत्रिकाएँ। (2) आई.सी.एम.आर./इसी प्रकार के अन्य सरकारी निकायों द्वारा अनुमोदित मौलिकशोध /अध्ययन। (3) संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित पाठ्य/संदर्भ पुस्तक के रचियता (4) एम.डी.एस.के बाद पी.एच.डी. या इसी प्रकार की कोई अन्य अर्हता।	10
श्रेणी 3 : (1) मानित विश्वविद्यालयों/दंत संस्थानों/भारतीय दंत संघ द्वारा प्रकाशित शोधपत्रिकाएँ (2) पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों का योगदान।	5

ध्यान दें :-

1. मौलिक शोध को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकाशन के लिये, पहले रचियता (प्रधान रचियता) को 100 % अंक दिये जायेगे और शेष रचियताओं को 50 % अंक दिये जायेगे और अधिकतम 5 सह-रचियताओं पर विचार किया जावेगा।
2. मौलिक शोध के लिये सभी रचियताओं को समान अंक दिये जायेगे और अधिकतम 6 रचियताओं पर विचार किया जावेगा।
3. श्रेणी 3 में अंकों के आवंटन हेतु अधिकतम 3 प्रकाशनों पर विचार किया जाएगा।
4. टेबलॉइड/संस्मरणों/दंत समाचार पत्रिकाओं / सम्मलेनों की कार्यवाहियों के सार/ स्वीकृति पत्र आदि में प्रकाशन पर अंकों के आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक कुल स्कोर :

प्रोफेसर : 30 अंक
 अध्येता (रीडर)/ सह-प्रोफेसर : 20 अंक

महत्वपूर्ण :

1. मान्यता प्राप्त परास्नातक अध्यापक का हर तीन वर्ष पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उसके पास उसके स्कोर में कम-से-कम 15 अतिरिक्त अंक होने चाहिए।
2. एक शोधपत्रिका समीक्षा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है जो विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध समस्त अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय दंत शोधपत्रिकाओं को सूचीबद्ध करेगी। परिषद की वेबसाइट पर इस सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। यह समिति शोधपत्रिकाओं की सूची की

वार्षिक समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी और यह विभिन्न शोधपत्रिकाओं के प्रकाशनों के स्तर की सतत निगरानी करेगी, एवं यदि शोधपत्रिका द्वारा उसका स्तर बनाए नहीं रखा जाता है आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। परंतु अन्य संस्थाओं में सेवारत चिकित्सकों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

9. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
11. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टापित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
12. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे कीमी लेयर में नहीं आते।
14. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (गैर कीमी लेयर) के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
15. मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में विहित छूट का लाभ देय होगा।
16. आवेदन शुल्क :- मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर कीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क राशि 500/- एवं शेष अन्य सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु राशि रु. 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नाम से निर्मित होना चाहिए तथा इंदौर पर देय होना चाहिए। चेक, पोस्टल आर्डर आदि अन्य किसी भी रीति से शुल्क स्वीकार नहीं किया

जाएगा। बैंक ड्राफ्ट से पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखना आवश्यक है। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी स्थिति में शुल्क लौटायी नहीं जावेगी।


17. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए आवेदन प्राचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2019 सायं 05.00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय / चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
20. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो-दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।

21. अन्य शर्तें :-

- यह नियुक्ति शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय सेवा भर्ती नियमों के अधीन की जा रही हैं। अतः स्वशासी संस्था के समस्त नियम लागू होंगे।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शये अनुसार बंधनकारी होगी।
- सेवारत उम्मीदवारों को नियुक्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
- म.प्र.के उम्मीदवार को म.प्र.राज्य दंत परिषद से दिनांक 16.09.2019 से पूर्व जीवित बीडीएस एवं एमडीएस में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। म.प्र.के बाहर अन्य परिषद से पंजीकृत उम्मीदवारों को भी अपने संबंधित राज्यों की दंत परिषद से दिनांक 16.09.2019 से पूर्व जीवित बीडीएस एवं एमडीएस में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। परन्तु चयन होने के पश्चात् 01 माह के अंदर म.प्र.राज्य दंत परिषद से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- केवल अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को स्कूटनी में सफल पाये जाने पर ही नियमानुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा।
- साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। अन्यथा संबंधित उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जावेगा।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक

की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य
शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

आवेदन पत्र का प्रारूप

अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त ट्यूटर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. बैंक डाफ्ट का कमांक एवं दिनांक एवं राशि रू.
1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक 01/01/2020 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक-
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. राज्य डेंटल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें) ..
अ. (बी.डी.एस.)-
ब. (एम.डी.एस.)-

स्वप्रमाणित
फोटो

13. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	बी.डी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	

B.D.S. Ist year
B.D.S IInd year
B.D.S IIIrd year
B.D.S Final year
M.D.S.

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास ;(Attempt) प्रमाण पत्र प्राचार्य/अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो छायाप्रति संलग्न करें।

बी.डी.एस. एवं एम.डी.एस. की डिग्री की छायाप्रति संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1.	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	
2.	सह-प्राध्यापक (रीडर)	
3.	सहायक प्राध्यापक (लेक्चरर)	
4.	ट्यूटर्स/प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :- भारतीय दंत परिषद के मापदण्ड एवं तालिका अनुसार :-

क्र.	श्रेणी	शोध पत्रिका का नाम	प्रकाशन का प्रकार मौलिक शोध/ अन्य प्रकाशन	रचियता प्रधान/सह रचियता कम	अंक

समस्त शोध पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची पेज नं. सहित
(छायाप्रति संलग्न करें)।

स्थान.....
दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं
हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर.दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जाँच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर बंधन कारक होगा।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

CHECK LIST

1. High School/Higher Secondary, Mark Sheet for Date of Birth
2. BDS Mark Sheets
3. BDS Degree
Year..... College..... DCI Recognized(Yes/ No.)
4. Registration of BDS in State Dental Council-----
6. Internship completion Certificate
7. PG Degree(In same Subject).....Attempt..... (Attempt Certificate)
Subject Year..... College.....MCI Recognised(Yes/No)
8. BDS Registration No. (State).....State Dental Council
- 9 . Post Graduation Registration(State).....State Dental Council
10. Certificate issued by Dean/Principal after PG-----
11. Certificate of Teaching Experience as Professor, Associate Professor(Reader) -----
Assistant Professor (Lecturer), Tutor -----

S. No.	Post	Place	Duration
--------	------	-------	----------

12. Publications in National/International, Index journals as per DCI Guidelines. (in recent five years)

S.No.	Designation at Time of Publication	Date of Publication
-------	------------------------------------	---------------------

13. Certificate of Award if have.....
14. Certificate of Fellowship : Subject..... Duration.....
15. Junior Resident(JR) Ship: Subject..... Duration.....
16. For Bonded Candidate, **NOC** if bond completed/paid bond amount or **Joining letter** if working for MP Government.
17. Caste Certificate by Competent Authority.....
18. M.P. Domicile (Yes/No).....

- 19. Employer's NOC if in Service (Government/Semi Government/Private).....
- 20. Identity Card (Adhar Card/PAN Card/Driving license/voter ID)

Note: 1. For Bonded Candidate, if document deposited in college, bring Certificate issued by dean for documents deposited the Institute and self attested copy of documents deposited in Institute.
2. NOC is not required for candidate applied in same Institute in which he/she work.

(Name & Signature)

Scrutiny Officer

(Name & Signature of Candidate)

Date.....